



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 -2787152(AAO) / FAX: 0291 - 2788706



फाइल संख्या 11(4)2017-2018/प्रशासन चतुर्थ

दिनांक : 24.11.2017

गून्दे फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

इस संस्थान (काजरी), जोधपुर के बागबानी क्षेत्र में गून्दे के लगभग 250 पौधे लगे हुए हैं, जिनमें 100 ग्राफटेड पौधे उन्नत अधिक फल देने वाले सम्मिलित हैं। इन पौधों में लगने वाले गून्दा फल (फलों की ऋतु वर्ष 2018{जनवरी-अप्रैल}) के दौरान उपलब्ध होंगे जिनकी नीलामी हेतु इच्छुक ठेकेदारों/पार्टियों से निविदाएँ अन्तिम दिनांक 15.12.2017 समय प्रातः 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। पौधों से गुन्दा फलों की अच्छी उत्पादकता लेने हेतु नीलामी के अन्तर्गत गुन्दा के पौधों के रख-रखाव संबंधी फील्ड कार्य उच्चतम स्वीकृत निविदादाता को स्वयं अपने खर्चे पर मजदूर लगाकर निर्देशानुसार पूरे करने होंगे। यद्यपि खाद तथा सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी। नीलामी से संबंधित विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : यह विज्ञापन राजस्थान पत्रिका, जोधपुर तथा दैनिक भास्कर, जोधपुर दैनिक अखबार (जोधपुर संस्करण) में दिनांक 26.11.2017 को प्रकाशित है।



फाइल संख्या 11(4)2017-2018/प्रशासन चतुर्थ/

दिनांक : 27.11.2017

गून्दे फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 15.12.2017 समय प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : 15.12.2017 समय प्रातः 11.30 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा दाता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0 (काजरी),
जोधपुर । (राज0) 342003

सेवा में

मैसर्स/श्रीमान् _____

विषय:- भा.कृ.अनु.प.–के.शु.क्षे.अनु.सं., (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में गून्दे के फलों की ऋतु वर्ष 2018 के लिए नीलामी हेतु निविदा ।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प.–के.शु.क्षे.अनु.सं., (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में गून्दे के फलों की नीलामी (फलों की ऋतु वर्ष 2018{जनवरी-अप्रैल}) हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें सलंगन अनुसार हैं ।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 15.12.2017 समय प्रातः 11.00 बजे तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा डाक/कोरियर द्वारा पहुँच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

निविदाएँ दिनांक 15.12.2017 समय 11.30 बजे इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने संस्थान के सभा भवन में खोली जाएगी ।

भवदीय

सलंगन : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार)
वास्ते निदेशक

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	गुन्दा के पेड़ों की संख्या	निविदादाता द्वारा निविदा की अंकित बोली/दर (स्पष्ट अंको और शब्दों में अंकित करें)
1.	<p>इस संस्थान के बागवानी क्षेत्र में गुन्दे के लगभग 250 पौधे लगे हुए हैं, जिनमें 100 ग्राफ्टेड पौधे उन्नत अधिक फल देने वाले सम्मिलित हैं।</p> <p>पौधों से गुन्दा फलों की अच्छी उत्पादकता लेने हेतु नीलामी के अन्तर्गत गुन्दा के पौधों के रख-रखाव संबंधी निम्नलिखित फील्ड कार्य -</p> <p>i) गुन्दे के पेड़ों के पत्ते तोड़ने की अवधि : 15 जनवरी, 2018 से पहले</p> <p>ii) पेड़ों में खाद (FYM)/कमपोस्ट देने की अवधि : माह फरवरी 2018 में</p> <p>iii) नियमित सिंचाई और घास-पात हटाने का कार्य : माह फरवरी - अप्रैल 2018</p> <p>iv) स्प्रे करना पौधों की सुरक्षा हेतु/पादप वृद्धि नियंत्रक, आवश्यक होने पर।</p> <p>v) फल तौड़ना एवं एकत्र करना।</p>	लगभग 250 गुन्दे के पौधे	<p>(अंको में) ₹</p> <p>(शब्दों में) ₹</p>

नोट : न्यूनतम सरकारी मूल्य (Govt. minimum reserve price) ₹ 30,000/- (अक्षरे रूपये तीस हजार) मात्र रखा गया है। इस सरकारी न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य कोट की जानी वाली निविदादाता फर्म/पार्टी की निविदा दर मान्य नहीं होगी।

गुन्दे के फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें -

- उपरोक्त के लिए धरोहर राशि राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft)/बैंकर्स चैक चैक (Bankers Cheque) ₹ 5000.00 (शब्दों में ₹ पाँच हजार) मात्र "ICAR Unit-CAZRI Jodhpur" के पक्ष में निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी।
- सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर/ GST (if applicable) स्वीकृत उच्चतम सफल निविदादाता से अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा।
- इच्छुक निविदादाता उपरोक्त गुन्दे के पौधों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं।
- निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक 15.12.2017 समय 11.00 बजे तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदा पत्र के लिफाफे के उपर गुन्दे के फलों की नीलामी के लिए निविदा अवश्य लिखें। निविदा उसी दिन प्रातः 11.30 बजे संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी।
- सफल अधिकतम दर निविदा दाता /पार्टी को नीलामी के पश्चात फलों की ऋतु (जनवरी-अप्रैल) वर्ष 2018 के दौरान फल तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 से दोपहर 3.00 बजे तक इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा। फल तुड़ाई कार्य फलों की तुड़वाई अवधि के दौरान ही पौधों के बगैर नुकसान पहुँचाये करना होगा एवं फलों को तोड़कर एवं एकत्रित कर ले जाना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
- बीज प्रयोजन के लिए फल लेने हेतु दो फलदार पौधे संरक्षित (Reserved) रखे जाएंगे।
- इस संस्थान को अनुसन्धान और नमूना उद्देश्यों के लिए निर्धारित 40 किलो ग्राम गुन्दे के अच्छे फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी
- नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का आधा भाग ठेके की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राशि फलों की शुरु हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा कराने होंगे।
- गुन्दा फल उचित परिपक्वता चरण इन्चार्ज द्वारा तय किये जाने के अनुसार फल तौड़े जाएंगे।
- गुन्दा फलों की तुड़ाई हेतु दी गई अवधि में गुन्दे के पत्तों की तुड़ाई तथा पौधों को खाद व पानी इत्यादि देने का कार्य स्वीकृत सफल अधिकतम दर निविदादाता जिसके पक्ष में नीलामी स्वीकृत हो को फल की ऋतु के दौरान अपने खर्च पर स्वयं के मजदूर लगाकर पूरा करना होगा; यद्यपि सामग्री जैसे खाद और सिंचाई का पानी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वीकृत अधिकतम सफल निविदादाता को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी।
- अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं।
- सफल अधिकतम दर निविदादाता के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि को नीलामी के पश्चात पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा।

14. निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—के.शु.क्षे.अनु.सं. (काजरी) को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
15. निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है । नियम व शर्तों की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in से डाउन लोड की जा सकती है ।
16. अन्य शर्तें नीलामी के दिन निविदा खोलने से पूर्व संस्थान की समिति द्वारा सूचित की जाएगी ।
17. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
18. नीलामी की स्वीकृत शर्तों में से किसी भी शर्त का स्वीकृत सफल अधिकतम दर ठेकेदार/पार्टी द्वारा फलों की ऋतु में फल तुड़ाई कार्य के दौरान उल्लंघन किये जाने पर निदेशक को इस नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार/पार्टी द्वारा इस संस्थान में जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
19. ठेकेदार अथवा उसके मजदूरों द्वारा गून्दा के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
20. सफल अधिकतम निविदादाता / ठेकेदार/फर्म को ठेके की राशि के अलावा सिक्कुरिटी राशि (ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तों की अनुपालना व ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
21. गून्दा फल तुड़ाई के लिए पौधों हिलाये नहीं जाएंगे ।
22. नीलामी छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार निदेशक, के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।
23. गून्दा फलों की तुड़ाई की अवधि नीलामी की दिनांक से फलों की ऋतु {जनवरी-अप्रैल} वर्ष 2018 तक अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।
24. गून्दा फलों की तुड़ाई हेतु दी गई अवधि में गूंदे के पत्तों की तुड़ाई तथा पौधों को खाद व पानी इत्यादि देने का कार्य स्वीकृत सफल अधिकतम दर निविदादार्ता जिसके पक्ष में नीलामी स्वीकृत हो को फल की ऋतु के दौरान अपने खर्च पर करना होगा ; यद्यपि सामग्री जैसे खाद और सिंचाई का पानी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
25. नीलामी के सफल अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता जिसके पक्ष में नीलामी हो के अतिरिक्त अन्य निविदादाता/फर्म/पार्टी की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

गून्दा फलों की नीलामी की अन्य शर्तें एवं नियम

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. गून्दा फलों की नीलामी हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 5000/-अमानत राशि ड्राफ्ट द्वारा जो कि "ICAR UNIT- CAZRI JODHPUR के नाम देय हो निविदा के संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार/फर्म अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें तथा पेन कार्ड (PAN allotted by Income tax department) की फोटो प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।
6. गून्दा फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. गून्दा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक के. शु. क्षे. अ. सं. का होगा ।
10. गून्दा फलों की नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को गून्दा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान गून्दा फलों की नीलामी के नियम व शर्तों की अनुपालना तथा गून्दा फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
11. गून्दा फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय-समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक